

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प



:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	शिवमहल	69	विजयसिंह पुत्र केशरीसिंह हिसा 1/28 आति राजपूत निवासी लोहना 851 जतेवा	विजयसिंह पुत्र केशरीसिंह हिसा 1/28 आति राजपूत निवासी लोहना 851 जतेवा
2	लोहना 851	342	विजयसिंह पुत्र केशरीसिंह हिसा 1/28 आति राजपूत निवासी लोहना 851 जतेवा	विजयसिंह पुत्र केशरीसिंह हिसा 1/28 आति राजपूत निवासी लोहना 851 जतेवा

राजस्व - $\frac{1777}{14.10.2021}$ लोहना 851

राजस्व - $\frac{405}{14.10.2021}$

क्रमांक :- 111/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,
दिनांक :- 14.10.2021

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,
.....

